तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प किशोरपुरा में पेश हुई। वादी मजमें आम में उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने कथन किये कि ग्राम आटोन तहसील दीगोद में सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 296/3 की 10 बीघा भूमि थी, जिसके बाद सेटलमेंट नवीन ख0नं0 665 रकबा 1.54 हे0 कायम किये गये। जबकि 10 बीघा भूमि को हेक्टर में परिवर्तित करनें पर 1.60 हे0 भूमि बनती है। इस प्रकार वादी के खातें में 0.06 हे0 भूमि की कम दर्ज की गई है। जिसकी पूर्ति करतें हुए वादी को 1.60 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जवाब में कथन किये है कि 10 बीघा भूमि का रकबा 1.60 हे0 होता है, जो 0.06 हे0 कम है, परन्तु इसके साथ ही अन्य ख0नं0 428/2 रकबा 0.28 हे0 भूमि भी गैरखातेदारी में दर्ज है, जिसके बारे में वाद में यह नहीं बताया गया है कि यह रकबा किस कारण गैरखातेदारी में दर्ज हुआ है। अन्य कथन करते हुए वादी का वाद खारिज किये जानें का निवेदन किया है। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया, वादी एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विधिक विचारण किया। प्रकरण में यह तथ्य तो तय है कि वादी को ख0नं0 296/3 की 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। किन्तु वादी के खातें में ख0नं0 428/2 रकबा 0.28 हे0 भूमि भी दर्ज है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई कथन अंकित नहीं किये है, कि उक्त भूमि वादी के खातें में कैस और किंस माध्यम से दर्ज हुई है। वादी ने अपनें वाद पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके खातें में से कमी रकबा किस नम्बर में बढाया गया है, जिसकी पूर्ति की जा सके। उक्तानुसार वादी अपनें वाद पत्र को पूर्ण रूप से साबित करनें में सफल नहीं रहा है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प किशोरपुरा

उनवान

भैरूलाल पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–200 / 09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 29.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner